बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

पत्रांक–स्था0–2/04–04/2012 /340 /पटना, दिनांक 23-3-15

पेषक,

पुरूषोत्तम ओझा,
संयुक्त निदेशक(प्र०)।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सांख्यिकी)
सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी।

विषयः– वित्तीय 2014–15 (01 अक्टूबर 2014 से 31 दिसम्बर 2014) का बिहार वित्तीय नियमावली 475 के अन्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय के आकड़ों के मिलान (लेखा का सत्यापन) करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि बिहार वित्तीय नियमावली 475 के आलोक में महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के पत्रांक–1254 दिनांक 05.11.12 एवं वित्त विभाग के पत्रांक–15891 दिनांक 12.11.12 द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्ति एवं व्यय के आकड़ों का मिलान महालेखाकार कार्यालय से करने का निदेश है। उल्लेखनीय है कि निदेशालय एवं इसके अधिनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों के आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त निदेश का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप प्रायः अधिकाय व्यय का मामला प्रकाश में आने लगा है। साथ ही प्रत्येक माह का व्यय प्रतिवेदन अगले माह के दो तारीख तक मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में प्रत्येक माह के लेखे का मिलान प्रत्येक तीन माह पर अपने कार्यालय से महालेखाकार कार्यालय में विशेष दूत भेज कर कराना सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

23/3/15

संयुक्त निदेशक(प्र०)

Binod/Est-2/Rajesh/03